# INCOME

**What happens if the NGO sources products for sale instead of making them ?**

**अगर कोई संस्था, बेचने के लिये प्रॉडक्डस् खुद बनाने के बजाय कहीं से खरीदती है तब क्या होता है ?**

आयकर कानून के अंतर्गत इससे कमाये हुए रूपये को संस्था की ''आमदनी'' माना जाएगा क्योंकि यह व्यापार है । ऐसा करने के बजाय आप दो अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करो । एक संस्था सिर्फ समाजसेवा करेगी । और दुसरी संस्था मुनाफा या आमदनी करेगी । यह दुसरी संस्था का पंजीकरण ''सेक्शन २५ कंपनी'' के रूप में हो सकता है । हर साल होनेवाला मुनाफा यह कंपनी समाजसेवा करनेवाली संस्था को ''डोनेशन'' के रूप में दे सकती है । इंग्लंड और अमरिका में ये मॉडेल का अच्छा उपयोग हो रहा है।